ण्न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

<u>अपील संख्याः 68 / 2024 एल.आर.एक्ट</u>   <u>GCMS No. 2024 / 60</u>

1. मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी बन्धाला तहसील नोखा जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. मालूराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी बन्धाना तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ढिंगसरी जरिए शाखा प्रवंधक शाखा ढिंगसरी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार नोखा।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः श्री सीताराम बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री दिनेश गहलोत — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 22.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा जिला बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.04.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रोही वन्धाना के खसरा नंबर 152 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 153 रकवा 0.05 हैक्टयर, खसरा नंबर 154 रकवा 1.89 हैक्टयर, खसरा नंबर 63 रकवा 8.70 हैक्टयर, खसरा नंबर 64 रकबा 0.17 हैक्टयर कुल रकवा 10.87 हैक्टयर भूमि पर स्थाई पत्थर गढी करने का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायाल उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने अपने आदेश दिनांक 24.04.2023 द्वारा उक्त खसरा भूमि की पत्थरगढी किए जाने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के उक्त आदेश दिनांक 24.04.2023 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके राही बन्धाना के खसरा नंबर 62 तादादी 10.86 हैक्टयर में स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि अन्य खसरा नबंर के साथ खसरा नंबर 63 तादादी 8.70 हैक्टयर, खसरा नंबर 64 तादादी 0.14 हैक्टयर में स्थित हैं। जो अपीलांट की भूमि के पूर्व में स्थित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है जबकि सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के प्रकरण में पड़ौसी पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र. संख्या 3 में काफी समय से सीमा विवाद होने का अंकन किया है तथा पैरा संख्या 4 में पडौसी खातेदारों द्वारा सीमाज्ञान में दिये गए सीमा चिन्हो को इंकार करने का भी अंकन किया ह जिससे स्पष्ट था कि मौके पर विवाद है इसलिए प्रभावित पक्षकारों को सुनना आवश्यक था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पड़ौसी पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 24.04.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं

1. आरबीजे. 2017 पेज संख्या 270
2. आर.एल.डब्ल्यू 2005(2)पेज सं. 596
3. आरएलडब्ल्यु2010(2)पेज नं 1153
4. आर.आर.टी 2022(1) पेज नं. 73
5. आरबीजे (8)2001 पेज नं. 312

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रोही बन्धाना के खसरा नंबर 152 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 153 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नंबर 154 रकबा 1.89 हैक्टयर, खसरा नंबर 63 रकबा 8.70 हैक्टयर, खसरा नंबर 64 रकबा 0.17 हैक्टयर कुल रकबा 10.87 हैक्टयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी चली आ रही है। उपरोक्त खातेदारी भूमि में काफी समय से सीमा विवाद चला आ रहा है जिसके संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार नोखा के आदेश क्रमांक सीमाज्ञान/एलआर/2021—22/123 दिनांक 21.02.2022 पालना में गांव के मौजिज व्यक्तियों, पडौसी खातेदार की उपस्थिति मे अपने खेत का सीमाज्ञान पटवारी/गिरदावर से करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपरोक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट है परन्तु

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट उक्त सीमाज्ञान को मानने से इंतकार कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने खसरा भूमि का सीमा ज्ञान करवाया है। उक्त खसरा भूमि पर विवाद होने के कारण ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया गया हैं परन्तु हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। इस कारण अपील अपीलांट निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख एवं न्यायिक दृष्टांत का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने अपने आदेश दिनांक 24.04.2023 ने अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 62 तादादी 10.86 हैक्टयर के पूर्व में स्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अन्य खातेदारी भूमि सहित खसरा नंबर 63 एवं 64 की भूमि की पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के रिकॉर्ड का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना, सुनवाई व सबूत पेश करने के अवसर दिये बगैर एक तरफा तौर पर आदेश पारित कर दिया। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 अपील अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर